संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहनसिंह का अभिभाषण

23 - सितम्बर - 2004

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

59वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में आपके चुनाव पर मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं इसकी सफलता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता हूँ।

हम संयुक्त राष्ट्र के 60वें वर्ष में यहां एकत्र हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण को मूर्त देने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विचारों और आदर्शों की नियति पर विचार करने के लिए हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी को पहले ही महसूस हो गया था कि जब तक सभी राष्ट्र परस्पर मिलकर संघर्ष की अन्तर-निहित शक्तियों से नहीं निपटेंगे तब तक विश्व युद्ध की विभीषिका से उभरे इस विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। विश्व को और अधिक सुरक्षित और शान्तिपूर्ण बनाने के लिए सभी राष्ट्र संगठित हुए ताकि विश्व में सभी लोग परस्पर मिलकर साझी समृद्धि के भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

लगभग 60 वर्ष पहले इस वैश्विक संस्था के निर्माण के पीछे जो प्रेरणा काम कर रही थी, वह आज के संदर्भ में और भी ज्यादा वास्तविक बन गई है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हमारे समक्ष चुनौतियों का अन्तर्राष्ट्रीय बदलते स्वरूप आधुनिक विश्व की एक सबसे ज्यादा स्पष्ट विशेषता बन गया है। एक राष्ट्र के रूप में आज हम जिन बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, वे सभी स्थानीय के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय आयाम वाली हैं। यह और भी ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है कि जब तक इन चुनौतियों का सामना आम सहमति के आधार पर सभी राष्ट्र मिलकर नहीं करेंगे, हमें संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों वाले विश्व के निर्माण में सफलता नहीं मिलेगी।

आतंकवाद इन चुनौतियों में से एक है, जिसके लिए हम में से कई राष्ट्रों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तीन साल पहले इसी शहर में मानवता के इतिहास में आतंकवाद का सबसे भयानक स्वरूप देखा गया

था। लगभग तीन सप्ताह पहले रूस में आतंकवाद का एक और घिनौना रूप देखा गया, जिसने सैकड़ों निर्दोष नागरिकों, की जिसमें बच्चे भी शामिल थे की जान ले ली। आतंकवाद वैश्विकरण के द्वारा प्रौद्योगिकियों के प्रसार का फायदा उठाता है, घर्मान्धता और घृणा की विचारधारा के आधार पर अपनी जन-शक्ति बढ़ाता है और सीधे लोकतांत्रिक देशों को निशाना बनाता है। यह एक दुखद वास्तविकता है कि आतंकवाद का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क उन लोकतांत्रिक देशों की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से परस्पर मिलकर काम कर रहा है, जिन्हें वह निशाना बनाता है। हम सहयोग की बात करते हैं, लेकिन आपस में संसाधनों को मिलाकर, सूचनाओं के आदान-प्रदान,खूफिया जानकारियों की एक दूसरे में बांटकर और अपेक्षित उद्देश्यों की स्पष्ट एकता बनाए रखकर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभियान के संबंध में खुद को कटिबद्ध करने में झिझकते नजर आते हैं। इसे बदलना चाहिए, आतंकवाद के विरूद्ध हमारा अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन है। हमें इसे मजबूत और विश्वसनीय बनाना चाहिए, अपनी जरूरत के अनुसार कार्यवाही करने और राजनीतिक स्वार्थों से बचना चाहिए।

आइए, अब हम अपने सामने उपस्थित अन्य चुनौतियों जैसे जनसंहार के हथियारों का चोरी-छिपे गलत हाथों मे पहुंचना आदि की ओर ध्यान दें। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के खतरे का सामना करने के लिए प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था और दंडात्मक कार्रवाइयों पर निर्भरता ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत जनसंहार के हथियारों के प्रसार के खिलाफ है और इस संबंध में उसका रिकार्ड बेदाग रहा है। हमारा विश्वास है कि इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आम सहमति ही ज्यादा प्रभावी होगी। परमाणु हथियारों के साथ-साथ जनसंहार के अन्य हथियारों के संबंध में रासायनिक हथियार संघि एक अच्छा आदर्श है और इसका अनुकरण किया जा सकता है। विशेष सुविधा प्राप्त देशों के अनन्य क्लब के बजाय प्रतिनिध्यात्मक संस्थानों के जरिए हम जनसंहार के हथियारों के प्रसार और उनके इस्तेमाल के लिए बनाए गए उपकरणों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक कार्य योजना में कुछ विशिष्ट उपयों की रूपरेखा तैयार की थी। जिस का केन्द्रीय विषय आज भी प्रासांगिक है। वह यह है कि जनसंहार हथियारों के समाप्त करने के प्रयास इस बात पर आधारित होने चाहिए कि जन संहार के हथियार रखने वालों और न रखने वाले देशों के बीच दायित्वों का संतुलन होना चाहिए। यह आज काफी स्पष्ट है कि अधिक सहकारी और सर्व सम्मत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के लिए वैश्विक संवाद की आवश्यकता है। भारत का विश्वास है कि यह सर्वसम्मति उन राष्ट्रों के बीच अंतर करेगा जिनके कार्य जनसंहार के हिथयारों

के अप्रसार को प्रोत्साहित करते हैं और वे जिनके कार्य इसके उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।

अब मैं संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के लिए मुख्य विषय विकास और गरीबी दूर करने की चुनौतियों को लेता हूँ। वैश्विकरण से अर्थव्यवस्थाओं, समन्वित विपणन स्थलों, रहन-सहन के उच्चतर मानकों और विश्व संबद्धता में निस्संदेह काफी प्रभावशीलता और कुशलता आई है। लेकिन विभिन्न देशों के बीच और एक ही देश के भीतर आर्थिक अन्तर या भेद बढ़ने की प्रवृत्ति भी है। सम्बद्धता का यह अर्थ भी है कि लोगों को इस बात की जानकारी है कि कितना ज्यादा और कितनी तेजी से रहन-सहन की अपनी आनुपातिक परिस्थितियों में वे गिरते जा रहे हैं। विकास आज अकेला घरेलू संसाधनों और राष्ट्रीय नीतियों का काम नहीं रह गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति से अनिवार्य रूप से सम्बद्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अलगाव के दायरों को सीमित करने के उपायों का पता लगाना चाहिए। हमें वित्त व्यवस्था के नए स्रोतों और उन तकनीकों तक पहुंच का पता लगाने की आवश्यकता है जो उन लोगों की सहायता के लिए आवश्यक है जो वैश्वीकरण के हाशिये पर है। जैसे समृद्धि को दीवारों के भीतर कैद करके नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार गरीबी को भी किसी अदृश्य इलाके में नहीं भेजा जा सकता। विकास को फिर से अंतर्राष्ट्रीय संवाद का केन्द्र बिन्दु बनाया जाना चाहिए। विश्व व्यापार, निवेश प्रवाह और सेवाओं की उपलब्धता का प्रबंध करने के लिए समान और नियम आधारित व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।

चार साल पहले हमने अपने शताब्दी शिखर सम्मेलन मे विश्व विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे लेकन उन को कार्य रूप देने में पिछड़ गए हैं।

हालांकि वैश्वीकरण ने जहां नई चुनोतियों को जन्म दिया है वहीं उसने इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीक भी उपलब्ध की है। विश्व के सामने एचआईवी/एड्स जैसी महामारियां मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन आज विश्व के पास ऐसे उपचार भी हैं जिनके जरिए विश्व को इन महाविपत्तियों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। हमारे भूमंडल के अनेक भागों में हमें पर्यावरण में गिरावट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन हमारे पास सुरक्षित और पर्यावरण हितैशी प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध हैं। अनेक देश भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन हमारे पास खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकें भी हैं जिससे कि भूख से मुक्त विश्व को एक यथार्थ

लक्ष्य बनाया जा सकता है। हालांकि हाईड्रोकार्बन पर जरूरत से ज्यादा हमारी निर्भरता ऊर्जा की लम्बे समय तक उपलब्धता पर चिन्ता बढ़ा दी है पर प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ विकल्प भी उपलबध कर दिए हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सिर्फ विश्व स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय बनाने की जरूरत है।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद के दशकों का अनुभव शान्ति और समृद्धि दोनों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में लोकतंत्र के उल्लेखनीय महत्व को दर्शाता है। हालांकि यह अच्छी बात है कि लोकतंत्र की सीमाएं पिछले डेढ़ दशक में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी कई देश इससे अछूते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमारे देश में 14वें आम चुनाव हुए, भारत विश्व में लोक अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी कवायद से गुजरा। इसलिए मैं विश्वास से अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय विचारों के महत्व को लोकतांत्रिक तरीके से वहां के लोगों द्वारा व्यक्त इच्छाओं के जरिए व्यक्त कर सकता हूँ। हम राजनीतिक स्वार्थों के कारण कई मामलों में लोकतंत्र की अनुपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं।

लोकतंत्र का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप एक देश के रूप में हमारे द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को मान्यता प्रदान करता है। इसे यह भी निर्धारित करना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का ढांचा किस प्रकार विकसित हो। अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियां, चाहे वे सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हों, आर्थिक चुनौतियां हों या पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां हों, इनसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार सफलतापूर्वक निपटता है, यही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अस्तित्व है और वास्तविक बहुपक्षीय संस्कृति है। हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेषज्ञ एजेंसियां ही एक उपकरण के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन जिसकी कमी है वह है संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को लोकतांत्रिक रूप देने के प्रति हमारी निरन्तर प्रतिबद्धता।

यह सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र बहुधा अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को सक्षम रूप से प्रभावित नहीं कर पाता और इसकी वजह है इसमें "लोकतंत्र की कमी " जिसके कारण लोकतांत्रिक तरीके से विकसित अन्तर्राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर यह इसे प्रभावी बहुदेशीय रूप नहीं दे पाता है। केवल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का नया रूप ही इस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय को निखारने के प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन समता है, जिससे

इसे सहभागितापूर्ण निर्णय लेने की और अधिक क्षमता मिलेगी और जो आधुनिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधि होगा।

हमारी शताब्दी घोषणा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नया रूप देने की आवश्यकता को पहचाना है। विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को उस संस्थान से अलग नहीं रखा जा सकता, जो निरन्तर बढ़ते हुए मुद्दों पर दूरगामी निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना तथा स्थायी सदस्यों में भारत जैसे देश को शामिल करना संयुक्त राष्ट्र को वास्तविक प्रतिनिध्यात्मक निकाय बनाने की दिशा में पहला कदम होगा।

अध्यक्ष महोदय,

मैं दो देशों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा, ये वो देश हैं, जिनके साथ भारत के प्राचीन काल से दोस्ताना संबंध रहे हैं और इन देशों में राजनीतिक स्थिरता की वापसी पर विश्व के देशों का ध्यान केन्द्रित है।

इराक की स्थिति बड़ी चिन्ता का विषय है। हाल के वर्षों के इस कलह को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य भूमिका है कि इराकी जनता जल्दी कारगर प्रभुसत्ता प्राप्त कर सके और उस देश की एकता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखा जा सके। इराकी जनता की परेशानियों का अंत और उनकी अभिलाषाओं की स्वीकृति पथप्रदर्शक लक्ष्य होने चाहिए। इराकी लोगों के साथ हमारी मैत्री के दीर्घलीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत इराक के मानवीय और आर्थिक पुनर्निर्माण में योगदान करेगा।

पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान को अव्यवस्था और स्थायी अस्थिरता से बाहर निकालने में सहायता की है। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनावों में अफगानिस्तान की जनता अपनी इच्छा बिना किसी हस्तक्षेप और डर के अभिव्यक्ति कर सकेगी। भारत की अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण मे सहायता जारी रहेगी।

भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। इस बात की सबको जानकारी है कि भारत और पाकिस्तान ने इस वर्ष जनवरी से जम्मू-कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त वार्ता शुरू की है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम वार्ता की इस प्रक्रिया को सार्थक और दोनो पक्षों को स्वीकार्य परिणाम तक ले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय,

अन्त में मैं उन सिद्धान्तों के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराता हूँ, जिन्होंने इस संगठन में हम सबको एकत्र किया है।

हालांकि विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से नई और बहुत कठिन चुनौतियाँ पैदा हुईं हैं, लेकिन ये सिद्धान्त अपनी प्रासंगिकता और वैधता बनाए हुए हैं। हमें अनुमान की दुनियां से बाहर आना होगा और विचारों पर अंकुश लगाने की आदत छोड़ना होगा, वर्तमान तथा भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हममें से प्रत्येक को अपने समय के नए दायित्वों को और अपने समय की बड़ी जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार होना होगा।

मैं बिना झिझक के कह सकता हूँ कि भारत भविष्य की जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। मैं उस भारत की बात करता हूँ, जो आर्थिक, तकनीकी और विकासात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। यह वह भारत है, जिसके पास असाधारण मानवीय संसाधन हैं और हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जो भावी और कठिन कार्यों को पूरा कर सकेंगी। इन कार्यों को हाथ में लेने और न्यायोचित तथा गतिशील विश्व व्यवस्था के निर्माण में भाग लेने की हममें योग्यताएं और क्षमता है। हमें विश्वास है कि असाधारण रूप से एक दूसरे पर निर्भर इस विश्व में सबकी भलाई के प्रति हमारी वचनबद्धता सुदृढ़ होगी। यह संगठन भी इसी उद्देश्य को लेकर गठित किया गया है।

इस संदर्भ में हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से विरासत में मिले अंतर्राष्ट्रीयतावाद के उस स्वप्न से प्रेरित हैं,जिसके शान्ति, सद्भाव और सहयोग स्तंभ हैं। इस स्वप्न के जरिए विश्व समुदाय के सामूहिक फैसले को जीवन्त रूप देने की जरूरत है, ताकि हम असाधारण चुनौतितयों का सामना करने के लिए एक नई भागीदारी बना सकें।

जय हिन्द।